



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1942 (श10)

(सं0 पटना 642) पटना, शुक्रवार, 25 सितम्बर 2020

सं0 ग्रा0वि0-5/मु0ग्रा0आ0स0यो0-102-43/2020-294823

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

22 सितम्बर 2020

विषय:- 01.04.2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवारों को अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास को पूर्ण कराने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना' के तहत प्रति लाभुक 50,000 (पचास हजार) रुपये अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति ।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 01 जनवरी 1996 से स्वतंत्र रूप से इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले पात्र परिवारों को स्थायी आवास की सुविधा हेतु मकान निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती थी । वित्तीय वर्ष 2016-17 से इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कार्यान्वित किया जा रहा है ।

2. दिनांक 01.04.2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु लाभुकों को प्रति गृह इकाई 35,000 (पैंतीस हजार) रुपये अथवा इससे कम की सहायता राशि मिलती थी, जो घर पूर्ण करने हेतु कई मामलों में अपर्याप्त रही । इस कारण से कतिपय आवास

अधूरे/अपूर्ण हैं। विशेषकर यह समस्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों के मामले में ज्यादा गंभीर है।

3. इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रावधानों के अंतर्गत एक बार सहायता राशि स्वीकृत हो जाने पर दोबारा न तो वित्तीय सहायता दी जा सकती है और न ही अपूर्ण घरों को पूर्ण करने के लिए तत्समय स्वीकृत अनुमान्य इकाई दर से अधिक राशि दी जा सकती है।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

- (क) दिनांक 01.04.2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनके आवास अधूरे/अपूर्ण अवस्था में है, उन्हें पूर्ण करने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना' का कार्यान्वयन किया जायेगा।
- (ख) योजना अंतर्गत चयनित पात्र लाभुकों को 50,000 (पचास हजार) रुपये अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ग) योजना पर होने वाले व्यय का वहन नया बजट शीर्ष खोलकर पुर्नविनियोग/अनुपूरक/राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के माध्यम से किया जायेगा।
- (घ) इस योजना को आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में भी यथावत जारी रखा जा सकेगा।
- (ङ) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षोपरांत गुण-दोष के आधार पर योजना में आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधन करने के लिए विभाग स्वयं सक्षम होगा।
- (च) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

5. इस पर दिनांक-18.09.2020 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-32 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 642-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>